"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-3/2012/वा.क.(आब.)/पांच (12).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (1) एवं (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915" के अन्तर्गत निर्मित एवं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील "ताड़ी नियम" को दिनांक 01-04-2012 से निरसित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, संचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2012

क्रमांक एफ 10-3/2012/वा.क.(आब.)/पांच (12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-3/2012/वा.क.(आब.)/पांच (12), दिनांक 26-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

Raipur, the 26th March 2012

NOTIFICATION

No. F 10-9/2012/CT/(Ex.)/V (12).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso of sub-section (3) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the Government hereby repealed "The Tadi Rule" made under "Chhattisgarh Excise Act, 1915" from dated 01-04-2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. S. MISHRA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.